

निधि पाण्डे, भा.सू.से.

आयुक्त

Nidhi Pandey, I.I.S.

Commissioner



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 91-11-26512579, फैक्स : 91-11-26852680

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016 (India)

Tel. : 91-11-26512579, Fax : 91-11-26852680

E-mail : kvs.commissioner@gmail.com, Website : www.kvsangathan.nic.in

दिनांक:- 14.09.2023

अपील

सर्वप्रथम तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकमनाएं। जैसा कि सर्वविदित है कि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व मंच पर हिंदी भाषा की निरंतर बढ़ रही विशिष्ट पहचान के कारण हिंदी दिवस हम सब भारत वासियों के लिए एक विशेष अवसर है। पूरा विश्व अब हिंदी के महत्व को समझ रहा है। कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंदी फिल्में और हिंदी गीतों का जादू पूरे विश्व में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।


हाल ही में संपन्न हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल और भव्य आयोजन से भारत ने 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति को चरितार्थ करते हुए सकल विश्व में अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष हिंदी में उद्घोषण कर अपनी मातृभाषा के गौरव को प्रदर्शित किया है। यह निश्चित रूप से हिंदी और भारत दोनों के लिए गर्व का विषय है।

यह अत्यंत संतोष का विषय है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में राजभाषा हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है और यहां हिंदी में काम करने का एक अनुकूल वातावरण है। यह हिंदी के प्रति आप सबकी लगन एवं सक्रियता का परिचायक है। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी से अपील करती हूँ कि हम अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करें। अपनी राजभाषा का मान बढ़ाएं और इसे उस ऊँचाई तक लेकर जाएं जिसकी वह हकदार है।

जय हिंद, जय हिंदी।

(निधि पाण्डे)

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियों!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ—साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों; हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, **"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।"** यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि विद्यापति की शब्दावली में कहूँ तो 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन-जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में 'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन' के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल 'हिंदी शब्द संधु' शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा—भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी—अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई—मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनर्श्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023


(अमित शाह)



संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। विविध बोली-भाषाओं और संस्कृति वाले भारत जैसे विशाल देश में हिंदी एक समृद्ध भाषा के रूप में यह भूमिका स्पष्ट रूप से निभा रही है। पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

आज भारत में नई-नई तकनीकों में भी हिंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में भी हिंदी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, चाहे वह 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना हो या फिर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना। विगत वर्षों में सरकार का हिंदी के प्रचार-प्रसार पर अधिक बल दिए जाने से अब हिंदी में कार्य करना आसान हो गया है जो सरकारी कामकाज में बढ़ रहे हिंदी के प्रयोग में परिलक्षित होता है।

हिंदी दिवस के अवसर पर भारत सरकार के समस्त कार्यालयों में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारी और कार्मिक यह संकल्प लें कि हम अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। इससे हिंदी का व्यापक स्तर पर संवर्धन होगा और हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा।

आइए, हम राजभाषा हिंदी के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व और शासकीय प्रतिबद्धता को दोहराएं और निश्चय करें कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य सरल और सुबोध हिंदी में करेंगे।

जय हिंद।

(राजीव गौबा)